न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस., जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

प्रकरण संख्या :– 07/2022 **(जीसीएमएस नम्बर–2022/84)**

उनवानी प्रकरण :–

सरकार जरिये ज़िला पुलिस अधीक्षक, धौलपुर ———————————— सायल।

बनाम्

श्री संजय पुत्र श्री लक्ष्मण, उम्र 29 साल जाति कुशवाह निवासी माफल का पुरा थाना सैपऊ जिला धौलपुर ———————————— गैरसायल।

इस्तगासा अंतर्गत धारा 3 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :–

1– सायल की ओर से :– सुश्री दिव्या कमठान अभियोजन अधिकारी।

2– गैरसायल की ओर से :– श्री चन्द्रपाल कुशवाह अभिभाषक धौलपुर।

निर्णय दिनांक 19.05.2026

निर्णय

जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की ओर से थानाधिकारी, पुलिस थाना सैपऊ से प्राप्त इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 विरूद्व गैरसायल श्री संजय पुत्र श्री लक्ष्मण, जाति कुशवाह निवासी माफल का पुरा थाना सैपऊ जिला धौलपुर इस आशय का प्रस्तुत किया है कि गैरसायल आदतन सट्टा/जुआ खेलने का आदी है तथा रूपयो पैसो का दाव लगाकर सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टेबाजी करता कई बार पकड़ा है एवं अन्य लोगो को इसे खेलने के लिए प्रेरित करता है। उक्त अपराध एक सेवा अपराध है जिसके कारण समाज के नवयुवक वर्ग का को खोखला कर दिया है। गैरसायल को बार–बार जुआ खेलते हुए गिरफ्तार करने एवं उसके विरूद्ध चालान पेश न्यायालय में करने एवं माननीय न्यायालय द्वारा उसे दोषी करार कर अर्थदण्ड से दण्डित करने के बावजूद भी वह अपनी हरकतो व आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नही लगा रहा है बल्कि बिना किसी कानून के भय के लगातार इसी अपराध को आदतन रूप से करता चला आ रहा है जिससे एक ओर जहॉ वह स्वयं को इलाका का सट्टा किंग घोषित कर आम जनता में भय का माहौल उत्पन्न कर रहा है। वही अपने लाभ के लिए युवा पीढी को इस अपराध में धकेल रहा है जिसके कारण आम नागरिक उसके विरूद्ध ना तो साक्ष्य देना चाहता है, ना ही उसके भय के कारण स्वतन्त्र रूप से शिकायत उच्चाधिकारियों को अथवा पुलिस को दे पा रहा है। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना सैपऊ पर दर्ज अपराधों का विवरण इस प्रकार है:– मु0न0 163/2021 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 12.06.2021 जिसमें चार्जशीट नम्बर 104

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

दिनांक 30.06.2021 को पेश न्यायालय की गई एवं न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सैपऊ द्वारा उक्त प्रकरण का विचारण करने के पश्चात दिनांक 27.08.2021 को दोषी करार कर 200 रूपये के दण्ड से दण्डित किया। मु0न0 234/2021 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 18.08.2021 जिसमें चार्जशीट नम्बर 139 दिनांक 27.08.2021 को पेश न्यायालय की गई एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सैपऊ द्वारा उक्त प्रकरण का विचारण करने के पश्चात दिनांक 08.09.2021 को दोषी करार कर 300 रूपये के दण्ड से दण्डित किया। गैरसायल की 06 माह की समयावधि के दौरान निरन्तर दोषसिद्ध की बारम्बरता जो उसकी आदतन अपराधिक प्रवृति को दर्शाती है का विवरण देवीसिंह पुत्र ग्याप्रसाद, के विरूद्व दर्ज प्रकरणों व गैरसायल की गतिविधियों से आम जनता में उत्पन्न भय, सन्त्रास व उनका जीवन खतरे में पडा हुआ है। उक्त प्रकरणों में उसकी अपराधिक गतिविधियों के आधार पर उक्त गैरसायल गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख)(5) की तारीफ में आता है, जिसे गुण्डा घोषित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः उक्त आधारों पर गैरसायल श्री देवीसिंह पुत्र ग्याप्रसाद के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के तहत् मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को नोटिस इस आशय का जारी किया गया, कि उसे इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो, तो वह इस न्यायालय में उपस्थित होकर कारण बताये।

गैरसायल की ओर से श्री चन्द्रपाल कुशवाह अभिभाषक ने अपना वकालतनामा पेश किया, गैरसायल द्वारा बार–बार जबाव हेतु समय चाहा गया। कई बार मौका दिये जाने के उपरांत भी गैरसायल द्वारा जबाव पेश नहीं किया गया। न्यायहित में अंतिम अवसर दिये जाने के बाद भी जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया। अंत में अभिभाषक अप्रार्थी ने जबाव पेश करने से इंकार किया गया तथा नोटिस का जबाब प्रस्तुत नहीं किया।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मु0न0 163/21, 234/21 में दर्ज एफ0आई0आर, चार्जशीट, सजा निर्णय की प्रति प्रस्तुत की।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गैरसायल के विरूद्व 02 प्रकरण दर्ज है। उक्त सभी प्रकरणों में चालान पेश न्यायालय किए जा चुके है। गैरसायल अपनी आदतों से वाज नहीं आ रहा है। गैरसायल आदतन जुआ खेलना, खिलाने, सट्टेबाजी करने का आदी है जिससे समाज में कुरीति फैलती है, समाज पर इसका कुप्रभाव पडता है। आमजन इससे भयभीत रहने लगा है, जनता में इतना भय व्याप्त है कि इसके घटना करने के बाद आमजन रिपोर्ट नहीं करते हैं, गैरसायल देवीसिंह का स्वछन्द रहना जनता हित में ठीक नही है। गैरसायल का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की परिधि में आता है। अतः गैरसायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही की जाकर गैरसायल जिला बदर किया जावे।

गैरसायल के विद्वान अभिभाषक ने अपनी मौखिक बहस के दौरान कथन किया कि गैरसायल पर जो मुकदमें लगाये गये, वह अभियान के तहत लगाये है, उसके बाद गैरसायल पर कोई मुकदमा नही है। गैरसायल के खिलाफ जो गुण्डा एक्ट का मुकदमा लगाया है, वह

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

पूरी तरह गलत है तथा गैरसायल एक सभ्य परिवार का व्यक्ति है। थानाधिकारी थाना सैपऊ द्वारा जो गुण्डा एक्ट का मुकदमा लगाया है, वह पूरी तरह से गलत है तथा गैरसायल आज तक किसी भी मुकदमा में दण्डित नहीं किया गया है, मात्र राजनैतिक रंजिश के कारण यह झूंठा मुकदमा लगाया गया है जबकि गैरसायल का उक्त मुकदमा से किसी प्रकार का कोई सम्बध सरोकार नहीं है। गैरसायल पूर्णतः निर्दोष व्यक्ति है तथा गैरसायल के द्वारा गवाहों को डराने एवं धमकाने की कतई सम्भवना नहीं है। गैरसायल के खिलाफ उक्त प्रकरण पेश होने के अलावा आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। अतः गैरसायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त प्रकरण को खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 यद्यपि लोक व्यवस्था को कायम रखने की दृष्टि से गुण्डों पर नियंत्रण करने और उनको दबाने के लिये विशेष उपबंध बनाने का अधिनियम है, तदापि नागरिकों की सामान्य स्वतंत्रताओं को भी अक्षुण रखना लोक व्यवस्था के लिये आवश्यक है। अधिनियम की धारा 2 में शब्द गुण्डा को निम्न रूप से परिभाषित किया गया है :–

''(आ) ''गुण्डा'' से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, जो–

1. स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य अथवा नेता या मुखिया के रूप में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) के अध्याय 16, 17 या 22 अथवा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 290 से 294 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध करने का अभ्यस्त है, या करने का प्रयास करता है, या करने के लिये प्रेरित करता है, अथवा

2. सप्रेशन ऑफ इम्मोरल ट्रेफिक इन वुमन एण्ड गर्ल्स अधिनियम 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 104) के अधीन दोषी ठहराया गया हो, अथवा

3. राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 (1950 का राजस्थान अधिनियम संख्या 11) के अंतर्गत कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो, अथवा

4. अफीम अधिनियम, 1878 (1878 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1) या एन0डी0पी0एस0 एक्ट 1985 के अंतर्गत कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो, अथवा

5. राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश, 1949 (1949 का राजस्थान अध्यादेश संख्या 48) के अधीन कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो, अथवा

6. महिलाओं एवं लडकियों पर अभ्यासतः अशिष्ट टिप्पणी करता या उन्हें छेडता हुआ पाया गया हो, अथवा

7. हिंसात्मक कार्यो या बल प्रदर्शन द्वारा कानून का पालन करने बालों को कष्ट देने का अभ्यासी पाया गया हो, अथवा

8. जो सार्वजनिक स्थानों पर दंगा या शांति भंग करने या बलवा करने का अभ्यासी हो या जो बलपूर्वक चंदे का संग्रह अथवा अपने या दूसरों के अवैध आर्थिक लाभ हेतु लोगों को धमकी देने का अभ्यस्त हो या जो व्यक्तियों अथवा सम्पत्ति की चेतावनी, खतरा या नुकसान करने का अभ्यस्त हो।

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

स्पष्टीकरण :– किसी व्यक्ति के सम्बंध में खण्ड में जहॉ किसी ''अभ्यस्त'' या ''अभ्यासी'' शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो इससे ऐसे व्यक्ति का अभिप्राय है, जो धारा 3 के अंतर्गत किसी कार्यवाही के आरम्भ में तुरन्त पूर्व छः माह की अवधि के दौरान कम से कम तीन अवसरों पर खण्ड (1), (6), (7) या (8) में वर्णित यथास्थिति, अपराध या कार्य करने का दोषी पाया गया हो।''

इस प्रकार अप्रार्थी के विरूद्ध 02 मुकदमें दर्ज होना प्रार्थी ने बताया है। इसी प्रकार **प्रकरण दायर होने की तिथि 22.11.2022 से तुरन्त पूर्व 6 माह की अवधि में अप्रार्थी को प्रावधानाधीन उपबन्धों के अन्तर्गत दोषी नहीं पाया** गया है और दोषी नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रतिबन्धित धाराओं के अन्तर्गत अप्रार्थी को ''अभ्यस्थ'' या ''अभ्यासी'' नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार अप्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रतिबन्धित गतिविधि के सम्बन्ध में ''प्रेरित करने'' या ''प्रयास करने'' के दण्डादेश का उल्लेख भी पत्रावली पर नहीं है।

अप्रार्थी स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य अथवा नेता या मुखिया के रूप में भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अध्याय 16, 17 या 22 अथवा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 290 से 294 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने का अभ्यस्थ है या करने का प्रयास करता है या करने के लिए प्रेरित करता है, ऐसी कार्यवाही अप्रार्थी के विरूद्ध करने का उल्लेख पत्रावली पर प्राप्त नहीं है। अप्रार्थी को सम्प्रेरण ऑफ इम्पोरल ट्रेफिक इन वुमन एण्ड गर्ल्स अधिनियम 1956 के अधीन दोषी ठहराये जाने का सबूत पत्रावली में उपलब्ध नहीं है ना ही आबकारी अधिनियम 1950 के अन्तर्गत अप्रार्थी को कम से कम 2 बार दोषी ठहराया गया हो, इस प्रकार की कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत नहीं किए गए है। अप्रार्थी को अफीम अधिनिमय 1878 या एनडीपीएस एक्ट 1985 के अन्तर्गत भी अप्रार्थी को दोषी ठहराये जाने बावत अभिलेख पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। पत्रावली पर ऐसा भी कोई दस्तावेज या साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे अप्रार्थी महिलाओं एवं लड़कियों पर अभ्यासतः अशिष्ट टिप्पणी करता या उन्हें छेड़ता पाया गया हो। पत्रावली पर ऐसा कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि अप्रार्थी हिंसात्मक कार्यो व बल प्रदर्शन द्वारा कानून पालन करने वालों को कष्ट देने का अभ्यासी हो। धारा 2(ख)(viii) मुताविक व धाराये विधिक प्रावधानों मुताविक मुल्जिम के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है व उक्त धारा के सम्बध में कोई आपराधिक रिकॉर्ड पत्रावली पर मुल्जिम के विरूद्ध है। अतः धारा 2 के स्पष्टीकरण मुताबिक मुल्जिम के विरूद्ध कोई अपराध कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के ठीक 06 माह की अवधि में आने सम्बधीं रिकॉर्ड पत्रावली पर नहीं है। पत्रावली पर यह मानने के लिए कोई उचित/ठोस आधार नहीं है, कि जिले या उसके किसी भाग में अप्रार्थी की गतिविधियां या कार्य व्यक्तियों या सम्पत्तियों को भय, खतरा या हानि पहुंचा रहे है और ना ही यह मानने के लिए कोई उचित/ठोस आधार है कि गवाह अपनी जान या माल की सुरक्षा को लेकर आशंका के कारण उसके खिलाफ गवाही देने के लिए आगे आने को तैयार नहीं है। सिर्फ दो 13 आरपीजीओ के केस दर्ज होने पर अप्रार्थी के विरूद्ध गुण्डा एक्ट नहीं लगाया जा सकता है। कानून के तहत 06 माह के भीतर कम से कम 03 या उसके अधिक बार अपराधों में शामिल होने व ठोस प्रमाण चाहिए तभी अप्रार्थी को आदतन या अभ्यस्त माना जायेगा। इस प्रकार सभी तथ्यों पर पूर्ण विचार एवं मनन करने

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

पर अप्रार्थी के विरूद्ध गुण्डा अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत नहीं है। इस प्रकार सभी तथ्यों पर पूर्ण विचार एवं मनन करने पर अप्रार्थी के विरूद्ध गुण्डा अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अतः अप्रार्थी संजय पुत्र श्री लक्ष्मण जाति कुशवाह निवासी माफल का पुरा थाना सैपऊ के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है और प्रकरण समाप्त किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2026 को मेरे लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट